GCMS-2025/375

APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खोरी
अब्दुल कय्यूम बनाम
अप्रार्थी नं. 63 सन् 2025

किस्म मुकदमा L.R Act - 136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 21/7/25 को पेश हो।	
21/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम गलाना के खाता संख्या 12 में नामान्तरण संख्या 1643 दिनांक 05.06.2025 विरासत द्वारा सलीमान बानो पत्नि स्व0 इलाहीबक्श के वारीसान अब्दुल कय्यूम, जाकिर, जाहिद पुत्र इलाहीबक्श व रजिया, सईदन पुत्री इलाहीबक्श का नाम दर्ज हुआ। जबकि अब्दुल कय्यूम, जाकिर, जाहिद पुत्र इलाहीबक्श व रजिया, सईदन पुत्री इलाहीबक्श हिस्सा 1/6 एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। सलीमन बानो पत्नि स्व0 इलाहीबक्श के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम गलाना के खाता संख्या 12 में विरासत द्वारा अब्दुल कय्यूम, जाकिर, जाहिद पुत्र इलाहीबक्श व रजिया, सईदन पुत्री इलाहीबक्श की डबल एन्ट्री हुई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम गलाना के खाता संख्या 12 में फौती नामान्तरण संख्या 1643 दिनांक 05.06.2025 विरासत द्वारा सलीमान बानो पत्नि स्व0 इलाहीबक्श के वारीसान अब्दुल कय्यूम, जाकिर, जाहिद पुत्र इलाहीबक्श व रजिया, सईदन पुत्री इलाहीबक्श की डबल एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। उक्त त्रुटी फौती नामान्तरण के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम गलाना के खाता संख्या 12 में अब्दुल कय्यूम पुत्र इलाई बी बक्श हिस्सा 1/30 एवं अब्दुल कय्यूम पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/6 के स्थान पर अब्दुल कय्यूम पुत्र इलाही बख्श हिस्सा 1/5, जाकिर पुत्र इलाई बक्श हिस्सा 1/30 एवं जाकिर पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/6 के स्थान पर जाकिर पुत्र इलाही बख्श हिस्सा 1/5, जाहिद पुत्र इलाई बक्श हिस्सा 1/30 एवं जाहिद पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/6 के स्थान पर जाहिद पुत्र इलाही बख्श हिस्सा 1/5, रजिया पुत्री इलाहीबख्श हिस्सा 1/6 एवं रजिया पुत्री इलाई बक्श हिस्सा 1/30 के स्थान पर रजिया पुत्री इलाही बख्श हिस्सा 1/5, सईदन पुत्री इलाई बक्श हिस्सा 1/30 एवं सईदन पुत्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इलाहीबख्श हिस्सा 1/6 के स्थान पर सईदन पुत्री इलाही बख्श दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 21/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★	